न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

दावा सं.:—27 / 2016

1. बलवीर सिंह
2. विजयसिंह
3. पालो

पिसरान नवलसिंह नवीरा बदले

4. चन्दू
5. बच्चूसिंह
6. हम्वीरसिंह

पिसरान कौशल

जातिगण जाट निवासियान ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर

.....वादीगण

बनाम

1. कढेरू पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः—17.09.2018

वादीगण ने दिनांक 04.03.2016 को जारिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया। वादीगण का सजरा निम्न प्रकार है।

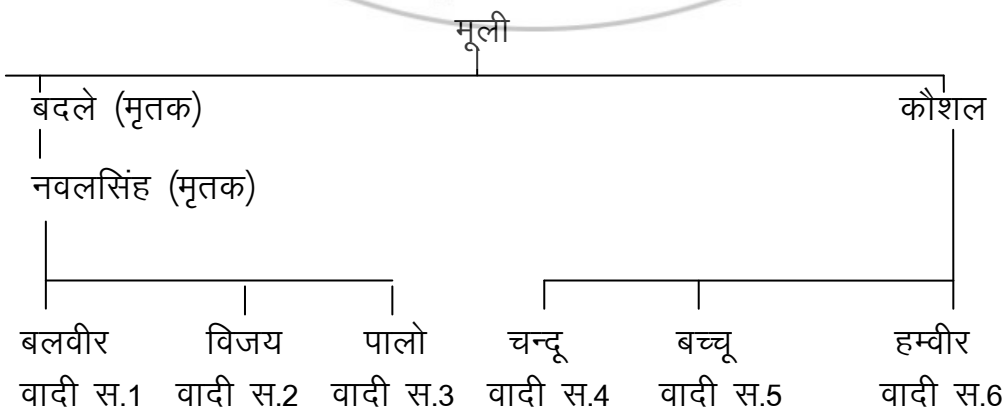

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर स्थित साविक आराजी खसरा नम्बर 1086, 1087, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1114, 1115, 1116, 1117, 1262, 1337, 1737, 1039, 1740, 1754, 1772, 1773, 1774, 1810, 2021 किता 22 रकवा 24 बीघा 8 विस्वा के निस्फ हिस्से के हिस्सा बराबर बदले व कौशल पिसरान मूली एवं कढेरू निस्फ हिस्से के खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित थे। बदले व कौशल के वारिसान वादीगण है। उक्त साविक खसरा नम्बरान के बंदोवस्त विभाग द्वारा निम्न प्रकार हाल खसरा नम्बर निर्मित किये गए हैं–

सविक नम्बर मय रकवा	हाल नम्बर मय रकवा
1087– एक बीघा 5 विस्वा	1248 / 0.18
1098– एक बीघा 8 विस्वा	1239 / 0.21
1117– 15 विस्वा	2175 / 0.15
1139– 17 विस्वा 1137– 5 विस्वा	1886 / 0.17
1740– 2 बीघा 9 विस्वा	1866 / 0.37
1754– 8 विस्वा	1873 / 0.08
2021– 1 बीघा 13 विस्वा	2178 / 0.28
1086– 1 बीघा 6 विस्वा	1232 / 0.01 1233 / 0.24
1100– 7 विस्वा	1240 / 0.06
1101 मिन 6 विस्वा	1241 / 0.06
1102 मिन 8 विस्वा	1242 / 0.10
1115– 10 विस्वा	1277 / 0.01
1116– 8 विस्वा	1278 / 0.16
1114 मिन 9 विस्वा	1276 / 0.07
1337 मिन 1 बीघा 15 विस्वा	1886 मिन / 0.12 1887 / 0.07 1888 / 0.10
1772– 14 विस्वा	1856 / 0.39
1773– 1 बीघा	–
1774– 1बीघा 3 विस्वा	1854 / 0.11 1855 / 0.09
1810 मिन 11 विस्वा	1803 / 0.09
1262– 1बीघा 12 विस्वा	1745 / 0.05 1746 / 0.13 1747 / 0.01 1748 / 0.05
1737– 1 बीघा 1 विस्वा	1982 / 0.13

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत एक दावा प्रतिवादी द्वारा विरूद्ध बदले व कौशल विभाजन एवं 188 आर.टी.ए. एक्ट के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में प्रस्तुत किया जो दिनांक 28.05.87 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरा रिपोर्ट आने के बाद दिनांक 07.03.87 को अन्तिम डिक्री किया गया। उक्त अन्तिम डिक्री दिनांक 07.03.87 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील सं. 610/1987 उनवानी बदले बनाम कढेरू प्रस्तुत होने पर न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर से दुबारा से कुरा रिपोर्ट मांगी गई। कुरा रिपोर्ट दिनांक 01.02.1991 के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की सहमति के आधार पर अपील दिनांक 25.03.1992 को कुरा रिपोर्ट दिनांक के आधार पर स्वीकार कर ली गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.1992 के अनुसार हाल खसरा नम्बरान पर राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया लेकिन राजस्व रिकार्ड में अमल डिक्री अनुसार न होकर आराजी खसरा नम्बर 1886 सम्पूर्ण रकबा वादीगण के नाम हो गया जबकि डिक्री अनुसार 0.17 हैक्टर प्रतिवादी एवं 0.12 हैक्टर वादीगण के नाम होना चाहिए एवं आरजी ख. नं. 1241, 1242, 1887, 1888 वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में होना चाहिए लेकिन उक्त खसरा नम्बरान पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रतिवादी के नाम हो गया। इसके अलावा हाल खसरा नम्बर 1745, 1746, 1747, 1982 पर वादीगण व हिस्सा बरावर निस्फ एवं प्रतिवादी निस्फ हिस्से पर खातेदारी के इन्द्राज डिक्री अनुसार होने थे लेकिन आराजी खसरा नम्बर 1746 पर प्रतिवादी एवं बाकी खसरा नम्बर 1745, 1746, 1747, 1748, 1982 पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया। इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.1992 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ लेकिन मौके पर आज भी वादीगण एवं प्रतिवादी न्यायालय आर.ए.ए. डिक्री के अनुसार काबिज है।

तत्पश्चात् एक दावा प्रतिवादी द्वारा प्रकरण सं. 668/1999 उनवानी कढेरू बनाम बदले वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में केवल उन खसरा नम्बरो की बाबत प्रस्तुत किया जो दोनों पक्षों की सह खातेदारी में रखे गए थे और उनकी सहमति के आधार पर न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर से दिनांक 25.03.1992 को डिक्री पारित की गई थी। उक्त दावा प्रतिवादी का दिनांक 27.09.2000 को न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा खारिज कर दिया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2000 के विरूद्ध अपील प्रतिवादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में प्रस्तुत की जो अपील सं. 327/2000 उनवानी कढेरू बनाम बलवीर वगै. दिनांक 04.04.2002 को स्वीकार होकर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि दोनों पक्षों के शामलाती पांचों नम्बरों के बारे में पुनः उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। इसके आधार पर पांचों नम्बरों के अलावा अन्य नम्बरो पर कोई विवाद दोनो पक्षो के मध्य नहीं रहा और शेष नम्बरो पर प्रतिवादी आर.ए.ए. के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.1992 के अनुसार सहमत रहा और आर.ए.ए. के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.1992 की कोई भी अपील प्रतिवादी द्वारा आज तक किसी भी अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए आर.ए.ए. के निर्णय एवं डिक्री आज तक प्रभाव में है।

आर.ए.ए. के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.04.2002 के आधार पर दावा सं. 668/99 दुबारा से रिमाण्ड होने पर सुनवाई हेतु न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर के यहां प्राप्त होने पर दावा पुनः दर्ज रजिस्टर नं. 357/2002 किया जाकर दिनांक 17.04.2006 को प्रारम्भिक डिक्री हाल ख. नं. 1745/0.05, 1746/0.13, 1747/0.01, 1748/0.05, 1982/0.13 किता 5 रकवा 0.37 हैक्टर पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुरे इस प्रकार कायम करें कि प्रतिवादी को 0.30 हैक्टर एवं वादीगण को 7 एयर मिले, प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गई। उक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.04.2006 के विरूद्ध अपील वादीगण द्वारा न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर में प्रस्तुत की जो अपील सं. 27/2012 बलवीर बनाम कढेरू दिनांक 17.07.2013 को खारिज कर दी गई। दोनों निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की हुई है, जो विचाराधीन है।

दावा पूर्व में साविक खसरा नम्बर से हुआ था और फिर न्यायालय राजस्व अपील प्रधिकारी भरतपुर का निर्णय दिनांक 25.03.1992 को हुआ तो बंदोवस्त हो जाने के कारण नए नम्बर आ गए थे लेकिन जो कुरे बन कर आए वह वादी व प्रतिवादी को रकवा पुराने खसरा नम्बरों के आधार बराबर–बराबर 8 बीघा 17 विस्वा रहा और वक्त निर्णय न्यायालय आर.ए.ए. साविक नम्बर और नए नम्बर दोनो को अंकित कर निर्णय पारित किया गया। साविक नम्बरो के आधार पर दोनो का रकवा बराबर–बराबर रहा लेकिन नए खसरा नम्बरों के आधारा पर साविक रकवा बंदोवस्त विभाग द्वारा अधिक दिया गया।

लेकिन उसके बाबजूद भी प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति यह नहीं की गई कि कुरे पुराने रकवा के आधार पर न होकर नए खसरा के रकवे के आधार पर किया जावें। साविक रकवा वादीगण का 8 बीघा 17 विस्वा एवं प्रतिवादी का भी 8 बीघा 17 विस्वा रकवा था। लेकिन जो खसरा नम्बर वादीगण को प्राप्त हुए उनके साविक रकवा की तुलना में रकवा बंदोवस्त विभाग द्वारा वेशी दर्ज कर दिया। यह सही है कि रकवा दोनो पक्षकारों के पास साविक के अनुसार बराबर–बराबर था अगर रकवा बंदोवस्त विभाग द्वारा बढ़ाकर दर्शा दिया तो इसका मतलब रकवा तो मौके पर वही होगा जो साविक रिकार्ड में दर्ज था मात्र रिकार्ड में वेशी दिखा दिया जबकि मौके पर दोनों पक्ष बराबर–बराबर काबिज है। यदि किसी व्यक्ति का रकवा रिकार्ड में कम होगा वह वेशी रकवे में से रिकार्ड के आधार पर पूर्ति कराने का अधिकारी होगा।

प्रतिवादी बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति है, जो वेशी रकवा रिकार्ड में के आधार पर वादीगण के कुरे में आया है, उसकी पूर्ति प्रतिवादी को सम्मलित नम्बर दोनो पक्षो के रहे थें उनमें बढे हुए रकवे की पूर्ति कराकर सम्मलित रकवा 0.37 हैक्टर उसमें से 0.30 हैक्टर लेना चाहता है व वादीगण को 0.07 हैक्टर देना चाहता है जो मौका व रिकार्ड के विपरीत है। प्रतिवादी द्वारा एक दावा उनवानी कढेरू बनाम बलवीर वगै. अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.ए. के तहत खसरा नम्बर 1233/0.24 के 3/24 हिस्सा पर वादी का दावा डिक्री किया गया अर्थात 0.03 हैक्टर भूमि वेशी रकवे से प्राप्त कर ली है,

मुताबिक निर्णय एवं डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर दिनांक 25.03.1992 के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1292/0.01, 1233/0.24, 1240/0.06, 1241/0.06, 1242/0.10, 1277/0.01, 1278/0.16, 1276/0.07, 1886 मिन/0.15, 1887/0.07, 1888/0.10, 1856/0.39, 1854/0.11, 1855/0.09, 121803/0.09 किता 15 रकवा 1.67 हैक्टर पर वादीगण खातेदार एवं राजस्व रिकार्ड में अमल करा पाने के अधिकारी है एवं आराजी खसरा नम्बर 1248/0.19, 1239/0.21, 1275/0.15, 1886 मिन/0.17, 1866/0.37, 1873/0.08, 2178/0.28 किता 7 रकवा 1.44 हैक्टर पर प्रतिवादी को खातेदार एवं राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जाना आवश्यक है।

आराजी खसरा नम्बर 1241, 1242, 1887, 1888 पर प्रतिवादी के नाम एवं खसरा नम्बर 1886/0.29 सम्पूर्ण पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में इन्द्राज है जबकि खसरा नम्बर 1886/0.29 में से 1886 मिन /0.17 हैक्टर पर प्रतिवादी एवं ख. नं. 1886 मिन/0.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12 हैक्टर एवं ख. नं. 1241, 1242, 1887, 1888 पर वादी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी के इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि वाके ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर स्थित आराजी ख. नं. 1241/0.06, 1242/0.10, 1887/0.07, 1888/0.07, 1886 मिन/0.12 पर वादीगण सं. 1 लगायत 3 को वहिस्सा बराबर एवं वादीगण 4 लगायत 6 को वहिस्सा बराबर निस्फ–निस्फ कर खातेदार घोषित किया जाकर वर्तमान में हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जावे। आराजी ख.नं. 1886/0.29 में से 1886 मिन/0.17 पर प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जाकर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जावे हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की पारित की जावे कि वह आ.ख.नं. 1241, 1242, 1887, 1888, 1886/0.12 पर कब्जे वादीगण में कोई मदाखलत मजाहमत नहीं करे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2071–2074 नकल निर्णय दिनांक 28.05.87 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर उनवानी कढेरू बनाम बदले, नकल कुरा रिपोर्ट दिनांक 21.07.87 फोटो कॉपी डिक्री दिनांक 07.08.87 सहायक कलक्टर भरतपुर नकल आदेश डिक्री 27.09.2000 सहायक कलक्टर नकल निर्णय दिनांक 04.04.2000 आर.ए.ए. भरतपुर फोटो कॉपी निर्णय दिनांक 17.04.2002 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, फोटो कॉपी ऑर्डरशीट दिनांक 25.03.1992 न्यायालय आर.ए.ए भरतपुर बदले बनाम कढेरू, फोटो कॉपी कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 24.01.1991 फोटो कॉपी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2004 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर कढेरू बनाम बलवीर, फोटो कॉपी निर्णय दिनांक 17.07.2013 न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर बलवीर बनाम कढेरू पेश की।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जारिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी ने जारिये अभिभाषक उपस्थित होकर दिनांक 12.02.2018 को अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया साथ ही प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा. दी. भी पेश किया गया।

जवाब दावा आने पर पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात व जवाब प्रार्थना पत्र में नियत की गयी। किन्तु उभयपक्षकारान की ओर से दिनांक 23.07.2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली है।

तत्पश्चात् पत्रावली पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। दोनो पक्षों के अभिभाषकगण द्वारा मुताबिक राजीनाम दावा डिक्री करने का अनुरोध किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गयी बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया।

उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा इस प्रकार होकर तस्दीक हुआ है कि प्रकरण में "हम पक्षकारान के मध्य काफी मुकदमेंवाजी रही है और आज भी उक्त प्रकरण के अलावा किरनदेई बनाम चन्दू एवं राजस्व मण्डल अजमेर में बलवीर बनाम कढेरू के नाम से विचाराधीन है। वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के वंशज है। आपस में हमने मनमुटाव दूर करते हुए इस प्रकार राजीनामा किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1242/0.10 हैक्टर जो वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी कढेरू के नाम खातेदारी में अंकित है। जिसमें से 0.01 हैक्टर रकवा 1242/1/0.01 प्रतिवादी कढेरू के नाम एवं 1242/2/0.09 वादी संख्या 1 लगायत 3 बलवीर सिंह, विजयसिंह व पालो के वहिस्सा बराबर खातेदारी में रहेगा। खसरा नम्बर 1241/0.06 जो वर्तमान में प्रतिवादी कढेरू की खातेदारी में दर्ज है, उसमें से 0.05 हैक्टर, 1241/1/0.05 वादी संख्या 1 लगायत 3 बलवीर सिंह, विजयसिंह व पालो के नाम एवं शेष 0.01 हैक्टर, 1241/2/0.01 वादी संख्या 4 लगायत 6 चन्दू, बच्चू, हम्वीर के नाम खातेदारी व कब्जे में रहेगा एवं खसरा नम्बर 1746/0.13 जो वर्तमान में कढेरू की खातेदारी के कब्जे में है वह प्रतिवादी कढेरू की खातेदारी में रहेगा।"

यहां यह तथ्य विचारणीय है कि वादीगण ने अपने राजीनामा में कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के एक ही वंशज के व्यक्ति है किन्तु वादीगण ने दावा में जो सजरा अंकित किया है वह केवल वादीगण का ही है। प्रतिवादी के नाम का कोई उल्लेख सजरा में नहीं है। इस कारण दोनो पक्षों को एक ही वंशज के व्यक्ति किस प्रकार माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के मध्य वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित अन्य प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है।

जब तक माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाता अथवा उच्च न्यायालय से प्रकरण वापिस नहीं लिये जाते तब तक राजीनामा के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण डिक्री किया जाना उचित नहीं होगा। पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य भी स्पष्ट तौर पर प्रकाश में आता है। कि वाद ग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में भी नियमित वाद हो चुके है जो वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। पूर्व मुकदमों की स्वीकारोक्ति वादीगण को प्रतिवादीगण ने अपने दावा व जवाबदावा में की है। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारण वादीगण व प्रतिवादी के स्वीकार तथ्य से हस्तगत प्रकरण धारा 11 जा.दी. (पूर्व न्याय) से बाधित है।

राजीनामा में वार्णित खसरा नम्बर 1241, 1242 एवं 1746 वाके ग्राम तुहिया की जमावंदी सम्बत 2071–2074 के अनुसार कढेरू पुत्र किशनसिंह जाति जाट के एकल खातेदारी के नम्बर है। उक्त खसरा नम्बरान से वादीगण का कोई भी संबंध व सरोकार नहीं है। यदि मुताबिक राजीनामा इन खसरा नम्बरों का हस्तान्तरण वादीगण को किया जाता है तो निश्चित तौर पर राजस्व हानि होगी जो मुद्रांक करापवंचन की श्रेणी में आती है। इस प्रकार हमारे न्यायिक मत में वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः–

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर